कार्यालय जि□ला न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के अक्टूबर-2006 से फरवरी-2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन **जो श्री अजय कुमार श्रीवास्तव एवं श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 25-02-19 से 1-3-19 तक श्री प्रेम चन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1- **परिचयात्मकः** परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज बली राम, अनुभाग द्वारा दिनांक **21.10.2006** से **31.10.2006** तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2000 से 09/2006 तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में **माह 10/2006 से 01/2019** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कुमाऊँ परिक्षेत्र, पिथौरागढ़।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-	-	350.40	297.54	22.81	15.88		59.79
2016-17	-	-	366.70	305.67	21.45	13.71		68.78
2017-18	-	-	404.58	385.48	42.92	38.26		23.76
2018-19 02/19 तक	-	-	445.50	331.76	24.41	13.00		125.14

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2014-15					
2015-16					
2016-17		शून्य			
2017-18					
2018-19 02/2019					

इकाई को बजट आवंटन (केन्द्र एवं राज्य सरकार) द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **कार्यालय जि□ला न्यायाधीश, पिथौरागढ़** को श्रेणी (सी) की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

जि□ला न्यायाधीश

↓

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

↓

सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट

↓

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

↓

प्रशासनिक अधिकारी

↓

प्रधान सहायक

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में उत्तराखण्ड कुमाऊँ परिक्षेत्र एवं अनुपालन लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं प्रतिवेदन **कार्यालय जि□ला न्यायाधीश, पिथौरागढ़** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु माह 07,07, 03/08, 12/13, 03/15, 03/17, एवं 03/18 को चयनित किया गया। उपरोक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन व्यय की अधिकता के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

----------शून्य ----------

भाग दो (ब)

प्रस्तरः1- विगत एक वित्तीय वर्ष से कार्यदायी-संस्था के पास रू 8.69 लाख का अवरोधन।

शासन के पत्रांक दिनांक 20 मार्च,2018 के तथा महानिबंधक, मा0 उत्तराखण्ड़ उच्च न्यायालय, नैनीताल के बजट आवंटन पत्रांक दिनांक 23 मार्च,2018 व पत्रांक दिनांक 08 मार्च,2018 में निहित शर्तो द्वारा निर्देशित किया गया था कि स्वीकृत एवं आवटित धनराशि का दिनांक 31 मार्च,2018 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जाये।

कार्यालय जिला व सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के लघु निर्माण से सम्बंधित पत्रावलियों की जांच में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु महानिबन्धक मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 08 मार्च,2018 को रू 2.15लाखा तथा दिनांक 23 मार्च,2018 को रू 6.64 लाख अर्थात कुल 8.69 लाख की धनराशि क्रमशः न्याय भवन के लिटिगेन्ट शेड, बार रूम तथा कैण्टीन भवन के रंग-रोगन एवं मुख्य भवन की रंग-रोगन आदि कार्यों के निष्पादन हेतु उपलब्ध करायी गयी थी।

इसीक्रम में कार्यालय द्वारा संदर्भित धनराशि को क्रमशः दिनांक 24.03.2018 व दिनांक 17.03.2018 को कार्य दायी संस्था- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड़ लो0नि0वी0, पिथौरागढ़ को ई-चालान के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी थी। परन्तु एक वित्तीय वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद एवं लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त धनराशि का व्यय सम्बंधित कार्यदायी संस्था द्वारा नहीं किया गया था एवं प्रश्नगत धनराशि कार्यदायी संस्था के डी0सी0एल0 खाते में जमा थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया है कि संदर्भित धनराशि का व्यय न होने का मुख्य कारण यह है कि जिला न्यायालय भवन की रंगाई- पुताई से पूर्व भवन का अनुरक्षण कार्य करवाया जाना अति-आवश्यक था। किन्तु शासन को प्रेषित अनुरक्षण कार्यों के आगंणन की धनराशि रू 58.37 लाख के सापेक्ष या आगणन की धनराशि की लेखापरीक्षा तिथि तक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होना। इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि अनुरक्षण कार्यों के आंगणन के साथ ही भवन- रंगाई- पुताई से सम्बंधित आंगणन की उक्त धनराशि को सम्मिलित किया जाना चाहिए था या अनुरक्षण कार्यों के बाद ही संदर्भित कार्य का आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना चाहिए था जिससे न केवल स्वीकृत धनराशि के अवरोधन से बचा जा सकता था बल्कि धनराशि का समयबद्ध एवं नियचमानुसार उपभोग भी किया जा सकता था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:1-</u> रु.31.49 करोड़ के लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनाया जाना।

वित्तीय नियमानुसार रोकड़बही विभाग का मुख्य अभिलेख होता है जिसमे विभाग के सभी लेन देनों (नगद/चेक/ड्राफ्ट/ई पेमेंट) का लेखा रोकड़बही मे इन्द्राज करना चाहिए।

कार्यालय जिला न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के लेखा अभिलेखो की जांच मे देखा गया कि विभाग द्वारा लेखा परीक्षा अवधि 10/2006 से 01/2019 तक के दौरान ट्रेजरी से किए गए कुल रु. 31.49 करोड़ के लेन-देनों (स्थापना+गैर स्थापना) की कोई रोकड़बही नहीं बनाई गयी है एवं पेटी कैश से संबन्धित लेन देन सादे रजिस्टर में दर्ज किए जा रहे है जो वित्तीय नियमो के विरुद्ध है।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक कोषागार पंजिका एवं 11-सी पंजिका का रख रखाव किया जा रहा है भविष्य मे रोकड़ बही का भी रख रखाव किया जायेगा।

अतः रु 31.49 करोड़ के लेन-देनों के लेखे की रोकड़बही न बनायें जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो -"अ"प्रस्तर संख्या	भाग दो -"ब" प्रस्तर संख्या	पू0 न0 ले0 टिप्पणी प्रस्तर सं0
शून्य			

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेषण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------- --- ---------- शून्य ----------

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जि□ला न्यायाधीश, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**

सतत् अनियमितताएः शून्य

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया है।

क्रंम संख्या	नाम	पद नाम	कार्यकाल अवधि
1.	सुश्री॰ कुमकुम रानी	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	01.07.2006 से 29.09.2007
2.	श्री॰ रमेश चन्द्र मौलेखी	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	28.09.2007 से 30.09.2008
3.	श्री॰ दिनेश प्रसाद गैरोला	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	14.10.2008 से 02.05.2011
4.	श्री॰ विवेक भारती शर्मा	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	03.05.2011 से 09.02.2013
5.	श्री॰ चंडी प्रसाद बीजलवान	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	09.09.2013 से 14.04.2015
6.	श्री. सिकन्द कुमार त्यागी	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	18.04.2015 से12.05.2017
7.	श्री राजेन्द्र जोशी	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	15.05.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जि□ला न्यायाधीश, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार/ (सामान्य क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" दिवतीय तल एल-218 कौलागढ, उत्तराखण्ड, देहरादून** को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र